



बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या—व.सं./113/2019—1165

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—18/12/2020

विषय— बक्सर एवं भोजपुर जिलान्तर्गत 220 KV D/C आरा—पुसौली लिलो ट्रांसमिशन लाईन at Dumraon SS निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.5154 हेठले वन भूमि को “उप महाप्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, पटना के पक्ष में” अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011 एवं दिनांक 15.02.2018 बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

3. बक्सर एवं भोजपुर जिलान्तर्गत 220 KV D/C आरा—पुसौली लिलो ट्रांसमिशन लाईन at Dumraon SS निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.5154 हेठले वन भूमि अपयोजन हेतु उप महाप्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, पटना का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के पत्रांक 1696 दिनांक 17.11.2020 द्वारा प्राप्त हुआ है।

4. प्रस्तावित पारेषण लाईन बक्सर एवं भोजपुर जिलान्तर्गत अधिसूचित वन घोषित पथ/नहर किनारे की भूमि से होकर गुजरती है। पथ/नहर किनारे की भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 189 (E) दिनांक 16.02.1994 द्वारा अधिसूचित है। परियोजना निर्माण के क्रम में 0.5154 हेठले वन भूमि अपयोजन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा की गयी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

5. इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर एवं वन संरक्षक, पटना द्वारा वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

6. इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 अंकित किया गया है। पारेषण लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7. परियोजना का निर्माण भोजपुर एवं बक्सर ज़िलान्तर्गत होना है। ज़िला पदाधिकारी बक्सर द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि से अधिक 0.5154 हेक्टेयर वन भूमि के लिये FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। ज़िला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा 0.2091 हेक्टेयर वन भूमि के लिये FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। Stage-I स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के साथ ज़िला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र भेजी जायेगी।

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

- i. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- ii. 0.5154 हेक्टेयर वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 8.03 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से रु० 413,866/- (रुपये चार लाख तेरह हजार आठ सौ छियासठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- iii. यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है तथापि हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर रु० 7,36,560/- (सात लाख छत्तीस हजार पाँच सौ साठ) मात्र राशि देय होगी।

10. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

11. अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य ज़िलों के लिये 1 (एक) हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

12. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

26.12.2020

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।